पत्रांक/जी0एस0टी0/2022–23/ 207/222302 राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 11 जुलाई, 2022

समस्त,
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2(वि0अनु0शा0),
ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–UPSGST Act की धारा 54 के अन्तर्गत पारित रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) की धारा–54 के अन्तर्गत रिफण्ड के प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाना विभागीय प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 की कर प्रणाली लागू होने के पश्चात् अस्तित्वहीन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल अथवा सेवा अथवा दोनों की वास्तविक आपूर्ति किए बिना टैक्स इनवायसेज जारी करते हुए बोगस आई0टी0सी0 पासऑन किए जाने के अनेक प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं। जीरो रेटेड आपूर्ति अथवा इनवर्टेड टैक्स संरचना के कारण अप्रयुक्त आई0टी0सी0 के रिफण्ड के मामलों में बोगस आई0टी0सी0 के भी सम्मिलित होने की संभावना के दृष्टिगत राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रान्तीय अधिनियम की धारा–54 के अन्तर्गत पारित रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी अत्यन्त आवश्यक है। परिपत्र संख्या–जी0एस0टी0/2122014 दिनांक 09.07.2021 से मेन्था ऑयल एवं उसके उत्पाद के निर्यातक व्यापारियों को स्वीकृत जी0एस0टी0 रिफण्ड की स्क्रूटनी के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए थे जिसे अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश दिए जाते हैं–

2. वर्ष 2017–18 से प्राप्त होने वाले रिफण्ड प्रार्थना पत्रों में निहित धनराशि एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी उपलब्ध डाटा के आधार पर रिफण्ड स्क्रूटनी का एक मॉडयूल आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय द्वारा विकसित किया गया है। स्वीकृत रिफण्ड प्रार्थना पत्र में निहित धनराशि के आधार पर जोन एवं सम्भाग में तैनात एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0) की लॉगइन पर स्क्रूटनी हेतु उपलब्ध है।

3. रू0 दो करोड़ से अधिक की धनराशि के स्वीकृत रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) द्वारा अपनी–अपनी लॉगइन पर उपलब्ध मामलों में की जाएगी।

4. रू0 पचास लाख से अधिक परन्तु रू0 दो करोड़ से कम की धनराशि के स्वीकृत रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0) द्वारा अपनी–अपनी लॉगइन पर उपलब्ध मामलों में की जाएगी।

5. रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी के समय रिफण्ड क्लेम करने वाले व्यापारी की आई0टी0सी0 श्रृंखला में आने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में विभागीय एवं BO पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों के साथ–साथ विधिक प्रावधानों के अनुसार आई0टी0सी0 की अनुमन्यता को भी ध्यान में रखा जाये। रेण्डम आधार पर किसी मामले का प्रतिपरीक्षण अन्य जोन से अथवा मुख्यालय स्तर से भी किया जा सकता है तथा प्रतिपरीक्षण में उचित ढंग से स्क्रूटनी न पाए जाने पर स्क्रूटनी करने वाले सम्बन्धित अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है।

6. त्रुटिपूर्ण रिफण्ड के मामलों में रिफण्ड स्वीकृत किए जाने के आदेश की तिथि से तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष के अंदर प्रान्तीय अधिनियम की धारा–73 अथवा धारा–74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। अतः रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी करने वाले अधिकारियों द्वारा अपने लॉगइन पर उपलब्ध मामालें की उक्त विधिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी।

7. रिफण्ड आदेशो की स्क्रूटनी के परिणाम की प्रविष्टि मॉड्यूल में यथा स्थान अनिवार्य रूप से की जाएगी जिससे रिफण्ड स्क्रूटनी का अनुश्रवण किया जा सके। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा की जाने वाली रिफण्ड स्क्रूटनी का पाक्षिक अनुश्रवण क्रमशः एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। मुख्यालय स्तर से मासिक समीक्षा के दौरान रिफण्ड स्क्रूटनी की प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया,

11/7/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0/ /तद् दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर सुसंगत मेन्यू में अपलोड कराने हेतु।

11.7.2022

अपर आयुक्त(जी0एस0टी0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ